FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

हंसराज बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :-प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु.नं. एवं सन 49/16 व 2016/00105

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
18.11.19	पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी व् राज पैरोकार उपस्थित राजपेरोकर ने जबाब प्रस्तुत न करते हुए सीधी बहस करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी धारा १३६ एल आर एक्ट के तहत गेर मुमकिन रास्ते की भूमि जो की जमाबंदी म दज है को अपनी खातेदारी भूमि करवाने के लिए शुद्धिकरण करवाना चाहता है जबकि धारा १३६ एल आर एक्ट म किसी आरओआर म पूव म लिपिकाय त्रुटी होने पर ही शुधि का प्रावधान है अतः प्रस्तुत प्राथना पत्र धारा १३६ एल आर एक्ट के प्रावधानों से असंगत होने के कारण काबिले ख़ारिज है वकील प्रार्थी ने रास्ता चालू नहीं होने व् प्रार्थी का कब्ज़ा काश्त होने के आधार पर उपरोक्त रकबा गेर मुमकिन रास्ता से शुधि कर खातेदारी म करने का निवेदन किया गया बहस सुनी गयी प्रस्तुत प्राथना पत्र उपरोक्त रकबा गेर मुमकिन रास्ता से शुधि कार खातेदारी म करने का निवेदन किया बहस सुनी गयी प्रस्तुत प्राथना पत्र रिकॉड का अवलोकन करने व् बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कष है की प्रार्थी द्वारा पस्तुत प्राथना पत्र धारा १३६ एल आर एक्ट के प्रावधानों से असंगत है अतः प्राथना पत्र इसी स्तर पर ख़ारिज किया जाता है पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	